जिला– खगड़िया

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश, SC/ST Act, खगड़िया

ST No. 372 of 2024
Beldour PS Case No. 366 of 2023
CIS No. 372 of 2024)

राज्य (द्वारा XXX)....अभियोजन पक्ष/ सूचक

ब ना म

1. दीपेश यादव उर्फ कुमार, उम्र करीब 23 वर्ष,
पिता– शंकर महतों
साकिन– फुलवड़िया, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया।

..... अभियुक्त

आरोपित धाराएँ 376, 354A, 354C, 420, 406, 509 IPC, U/s 66E, 67A IT Act

अभियोजन की ओर से – श्रीमती रंजना कुमारी
विद्वान अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त की ओर से – श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।

उपस्थित : **संजय कुमार–।।**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 13वीं मार्च 2026

नि र्ण य

1. प्रस्तुत वाद में एकमात्र अभियुक्त दीपेश यादव उर्फ कुमार के विरूद्ध धारा 376, 354A, 354C, 420, 406, 509 IPC, U/s 66E, 67A IT Act के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2. यह वाद सूचक XXX के टंकित आवेदन पर आधारित है, जिसमें उसने कथन किया है कि

दिपेश कुमार ने आज से 1 वर्ष पूर्व जब मैं अपने आँगन में स्नान कर रही थी कि उसी दौरान उक्त नामित व्यक्ति ने चुपके से मेरा फोटो एवं विडियो बना लिया और मेरे मोबाईल नं0–7631383501 पर मोबाईल नं0–9113408113, से

विडियों एवं फोटो भेज कर मुझे कॉल करके ब्लेकमेल करने की धमकी दिया। और फोटो एवं विडियों के जरिये मेरे साथ यौन शोषन किया, जिसको लेकर मैं उक्त नामित व्यक्ति से आग्रह किये कि आप मेरा अर्धनग्न फोटो को डिलेट कर दिजीये जिसमें उक्त नामित व्यक्ति ने हमे आश्वासन दिलाया कि हम आपका फोटो जल्द ही डिलेट कर देंगे लेकिन नहीं करते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। और धोखे से पुनः मेरा अर्धनग्न फोटो एवं विडियों को बना लिया। फिर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर हमे बोला कि तुम मुझे पचास हजार रूपया दो नहीं तो तुम्हारा फोटो एवं विडियो वायरल कर देंगे। तभी उक्त नामित व्यक्ति ने हमे अपने साथ में ले जाकर भारत बैंक बेलदौर से 30000 रूपया लोन उठवाने हेतु लेकर गया और मुझे यूनियन बैंक के सी. एस. पी. सेंटर बेलदौर लेकर जाकर यूनियन बैंक का एक खाता खोलवाया जिसका एकाउन्ट नं0-484902120010273 आईएफएससी कोड UBIN0548499 है जिसमें कि उक्त नामित व्यक्ति ने वो अपना मोबाईल नं0 9113408113 को लिंक करवा दिया। एवं यही खाते में 30000 रूपया भारत बैंक से लोन उठवाकर उक्त नामित व्यक्ति ने कुल रूपया मेरे घर पर आकर डिवाइस के जरिये आँगूठा से निकाल कर ले लिया। और पुनः ब्लैकमेल की धमकी देकर बोला कि 20000 रूपया और दो नहीं तो फोटो विडियों वायरल कर देंगे। जिसमें कि पुनः मैं एलएनटी फाईनेंस कम्पनी से 43000 रुपया लोन लिये और फिर डिवाईस के जरिये आँगुठा से कुल रूपया उक्त नामित व्यक्ति ने निकाल लिया। फिर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर मेरा अर्धनग्न फोटो फैसबुक पर वायरल कर दिया।

3. सूचक के द्वारा दिये गये टंकित के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया। इस वाद में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा वाद का दौरा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ से यह अभिलेख विचारण हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण के दौरान अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

5. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

म न त व य

6. अभिलेख अवलोकन से अभियोजन ने अपने वाद के समर्थन में कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया है, वे हैं–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 विशुनदेव महतों,
अभियोजन साक्षी संख्या 02 दीपक कुमार महतों,
अभियोजन साक्षी संख्या 03 शांति देवी,
अभियोजन साक्षी संख्या 04 XXX सूचिका

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित कराया गया है–

P1/PW-04	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।
P2/PW-04	धारा 164 द0प्र0स0 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।

सफाई पक्ष की ओर से किसी भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

अभियोजन साक्षी संख्या 01 ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि 1.5 वर्ष पूर्व की घटना है। मैं उस समय पंजाब में था। तब मेरी पुतोह XXX फोन की कि घर आइये। घर आये तो पुतोह रोने लगी, रोने का कारण पुछा तो बोली दिपेश ने नहाने के कम में मेरा फोटो खिंच लिया। फोट खिंचने के बाद बोला कि मेरे साथ गलत काम करों नहीं तो विडियो वायरल कर देंगे। उसको धमका कर बलात्कार किया और बैंक एकांउट से 20000 पैसा देने को बोला, नहीं देने पर विडियों वायरल करने की धमकी दिया। 20000 पैसा ले लिया दुबारा पैसा की माँग किया जो पुरा नहीं करने पर विडियो वायरल कर दिया। पुलिस में मेरा बयान हुआ था। मुदालह को देखकर पहचान लेगे।

प्रति परीक्षण के कम में साक्षी ने कथन किया है कि 1.5 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय मैं पंजाब में था। यह घटना मेरे घर में हुआ था। मेरे घर से अभियुक्त दिपेश कुमार का घर 10 रस्सी की दुरी पर है। घटना की तारीख याद

नहीं है। दिन भी याद नहीं है। यह घटना दिन में 12 बजें हुई थी। घटना के दिन हम घर पर मौजूद थे। घटना को मैंने अपने आँखों से नहीं देखा। सूचिका मेरी पुतोह है। अभियुक्त दिपेश कुमार का किराना दुकान है। वहाँ से मैं भी समान लेता था, नकद भी लेते थे कभी–कभी उधार भी लेते थे। मैं अपनी शादी के बाद ही पंजाब जाता और आता हूँ। धान और गेहूँ कटनी के समय पंजाब से आता हूँ। आज के पहले कहीं मेरा बयान नहीं हुआ था। मुदालह का दोनों आथ अपाहिज है, वह सब काम करता है। कुदाल भी चलाता है। हम सपरिवार पंजाब में ही रहता हूँ और जब आता हूँ तो सब साथ ही आता हूँ। घटना के बारे में हमको पतोहू ने बताया, मैंने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा था। दुकानदार ज्यादा–से–ज्यादा सौ रूपया तक उधार देता था तथा जब पैसा आता था, उसको वापस कर देता था। पंजाब में धान गेहूँ का काम करता था तथा उससे जो पैसा आता था, उसी से उधार चुकता करता था। मेरा आंगन टटिया से घेरा हुआ है। यह कहना गलत है कि पैसा ठगने के लिए झूठा मुकदमा किया हूँ तथा अभियुक्त के दुकान का उधार बहुत बाकि था तथा चुकता नहीं करने के कारण झूठा केस कर दिया।

अभियोजन साक्षी संख्या 02 दीपक कुमार महतों ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2023 की घटना है। दिन का 02:00–02:30 बज रहा था। उस समय मैं खेत में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। मेरी पत्नी XXX स्नान कर रही थी, दिपेश कुमार ने छिप कर फोटो और विडियो बना लिया और फोटो और विडियों मेरे पत्नी को दिखा कर बोला कि मेरे साथ संबंध बनाओं नहीं तो फोटो और विडियों को वायरल कर देंगे। नग्नावास्था में मेरी पत्नी का फोटों भी खिंचा और उसके साथ संबंध भी बनाया। उसके बाद दिपेश कुमार ने मेरी पत्नी के बैंक खाता से एक बार 42 हजार और एक बार 30 हजार रुपया फिंगर लगा कर निकाल लिया। पुलिस में बयान हुआ था थाना को मैंने पेन ड्राइव दिया था जिसमें फोटों और विडियों था। आज न्यायालय में उपस्थित मुदालह को पहचानते है।

प्रति परीक्षण के क्रम में साक्षी ने कथन किया है कि आज पहली बार गवाही देने आये है। इससे पहले कभी गवाही नहीं दिये है। साल में लगभग 2.5 महिना बाहर रहे है।

जिस दिन घटना घटी मैं पजाब में नहीं था घर पर ही था। मुदालह का दुकान है। अभियुक्त के दुकान से मेरे घर की दुरी लगभग 150–200 मिटर की दुरी पर है। उस दुकान से समान लेने के लिए मेरी पत्नी आया जाया करती थी। मैं हमेशा दुकान से नगद समान लेता था उधार नहीं लेता था। जब मैं पंजाब मजदूरी करने जाता था तो भी मेरी पत्नी दुकान से सामान नगद लेती थी। पंजाब जाने के बाद हर महिने पैसा भेजते थे। हमको पत्नी कभी नहीं बताई कि मैं दुकान से उधार सामान ली हूँ। मेरा आँगन घिरा हुआ नहीं है। पश्चिम–पुरब साइड से गली और उत्तर–दक्षिण साइड घिरा हुआ है। मेरा चापाकल दक्षिण साइड में है। मुदालह का मेरे यहाँ लगभग 4–5 माह से आना जाना है। केस के पहले मुदालह आता जाता था हमसे बातचीत होती थी। मैंने मुदालह को मेरे यहाँ आने से मना किया था। लेकिन वह नहीं माना। मैंने भी मना किया और मेरी पत्नी ने भी मना किया मुदालह को मेरे घर आने से। सामाजिक रूप से मेरी पत्नी का मुदालह से दो–चार महिना से बातचित होता था। मेरी पत्नी ने एक बार बताया था तो हम मुदालह को घर आने से मना किये। इस घटना कि तिथि हमको याद नहीं है। मेरी पत्नी ने कभी ऐसा नहीं बताया कि मैं मुदालह से गपशप करती हूँ। घटित घटना के 15 दिन के बाद मेरी पत्नी ने घटना के विषय में बताया था। उस समय मैं पंजाब में था। मेरी पत्नी ने वाट्सअप पर फोटो भेजा था और बताई थी की मेरी यही अर्धनग्न फोटो दिखाकर अभियुक्त ब्लैकमेल कर रहा है। उस वाट्सअप का नंबर नहीं बता सकते है। मुझे चार बच्चा है। दो लड़का और दो लड़की है। सबसे बड़ी लड़की है। बच्चे मेरी माँ के साथ रहती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं, मेरे परिवार, और मेरी पत्नी अभियुक्त के दुकान से ढ़ेर सारी पैसा और सामान लिये थे, जो माँगने पर झूठा केस किये है। अभियुक्त हाथ और उँगली से अपंग है और लाचार है। ऐसी बात नहीं है कि वह कोई काम नहीं कर सकता है। अभियुक्त कुदाल चला सकता है, साईकिल चला सकता है। अर्धनग्न फोटो के विषय में बताई और कोई घटना के विषय में नहीं बताई। घटनास्थल की चौहद्दी–उत्तर– गुटर महतो का घर, दक्षिण– सर्वण महतो का घ ार, पुरब– सड़क, पश्चिम– मेरा बाड़ी और उसके बाद नरेश झा का खेत। पत्नी के बातये अनुसार और साक्ष्य के आधार पर

गवाही दिये है। मैं घटना स्थल पर नहीं था और न ही घटना को देखा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि जो भी गवाही दिये वो झूठा दिये है और सत्य को छिपा लिये है।

अभियोजन साक्षी संख्या 03 शांति देवी ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि XXX मेरी पतोहू है। घटना तीन साल पहले की है। मैं उस समय घर में नहीं थी, घ ास लाने गयी थी। आयी तो सुनी कि मेरी पतोहू नहा रही थी तो उसका फोटो दीपेश खींच रहा था। फोटो को वायरल कर दिया। दारोगा जी हमसे पूछताछ किये थे। उपस्थित मुदालह को नहीं पहचानती हूँ।

प्रति परीक्षण के क्रम में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय मैं बहियार घास लाने गयी थी। कितने बजे घटना घटी, हमको पता नहीं है। दीपेश फोटो खींचा था, ऐसा मुझे बताया। पतोहू बतायी कि फोटो खींचकर वायरल कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

अभियोजन साक्षी संख्या 04 जो कि इस वाद की सूचिका–सह–पीड़िता हैं, ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि मैं इस केस की सूचिका हूँ। घटना का तीन साल हो गया है। समय तीन बजे शाम का था। उस समय मैं घर में थी। मैं आंगन में नहा रही थी, मेरा फोटो खींच लिया। फोटो खींचने वाले का नाम पता नहीं है। उसके बाद उस फोटो से मुझे मोबाईल से ब्लैकमेल करने लगा। और कुछ नहीं हुआ। लिखित आवेदन पर साक्षी अपने हस्ताक्षर का पहचान करती है, जिसे उसके पहचान पर प्रदर्श–**P1/PW-04** अंकित किया जाता है। धारा 164 द0प्र0स0 के बयान पर मेरा हस्ताक्षर है, पहचानती हूँ। गवाह के पहचान पर इसे प्रदर्श– **P2/PW-04** अंकित किया जाता है। पुलिस हमसे पूछताछ किया था। उपस्थित मुदालह को नहीं पहचानती हूँ।

प्रति परीक्षण के क्रम में साक्षी ने कथन किया है कि मैं जहाँ स्नान कर रही थी, वह टूटा–फुटा टाट से घेरा हुआ था, उसी से चुपके से फोटो लिया था। फोटो लेने वाले का नाम नहीं जानते हैं, और न ही पहचानते हैं। उपस्थित मुदालह दीपेश मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियोजन द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि प्रस्तुत वाद में सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्धि के अधिकारी हैं।

इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। इस वाद के सभी साक्षियों के बयानों में काफी विरोधाभास है। स्वयं सूचिका ने घटना में उपस्थित मुदालह दीपेश के शामिल होने की बात नहीं कहा है। अतः अभिलेख पर अभियुक्त के दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है तथा अभियुक्त दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

संजय कुमार

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE * KHAGARIA

8. उभय पक्षों की बहस सुनकर अब पत्रावली पर आये साक्ष्यों का अवलोकन करते हैं :–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 ने अपने मुख्य बयान में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि 1.5 वर्ष पूर्व की घटना है। मैं उस समय पंजाब में था। तब मेरी पुतोह XXX फोन की कि घर आइये। घर आये तो पुतोह रोने लगी, रोने का कारण पुछा तो बोली दिपेश ने नहाने के कम में मेरा फोटो खिंच लिया। फोट खिंचने के बाद बोला कि मेरे साथ गलत काम करों नहीं तो विडियो वायरल कर देंगे। उसको धमका कर बलात्कार किया और बैंक एकांउट से 20000 पैसा देने को बोला, नहीं देने पर विडियों वायरल करने की धमकी दिया। 20000 पैसा ले लिया दुबारा पैसा की माँग किया जो पुरा नहीं करने पर विडियो वायरल कर दिया। इस साक्षी ने मुख्य बयान में घटना का समर्थन किया है, किन्तु यह साक्षी घटना का प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नही है, क्योंकि इस ने कहा है कि उस समय वह पंजाब में था। प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना के समय वह पंजाब में था। यह साक्षी घटना का प्रत्य क्षदर्शी साक्षी नही है, जिसे साक्षी ने संपुष्ट किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 ने भी अपने मुख्य बयान में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 09.12.2023 की घटना है। दिन का 02:00–02:30 बज रहा था। उस समय मैं खेत में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। मेरी पत्नी XXX स्नान कर रही थी, दिपेश कुमार ने छिप कर फोटो और विडियो बना लिया और फोटो और विडियों मेरे पत्नी को दिखा

कर बोला कि मेरे साथ संबंध बनाओं नहीं तो फोटो और विडियों को वायरल कर देंगे। नग्नावास्था में मेरी पत्नी का फोटों भी खिंचा और उसके साथ संबंध भी बनाया। उसके बाद दिपेश कुमार ने मेरी पत्नी के बैंक खाता से एक बार 42 हजार और एक बार 30 हजार रुपया फिंगर लगा कर निकाल लिया। इस साक्षी के बयान से भी स्पष्ट है कि यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के समय वह खेत में काम करने गया था। प्रति परीक्षण के क्रम में साक्षी ने कथन किया है कि घटित घटना के 15 दिन के बाद मेरी पत्नी ने घटना के विषय में बताया था। उस समय मैं पंजाब में था। इस साक्षी ने विरोधाभासी बयान दिया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियेाजन साक्षी संख्या 03 शांति देवी ने अपने मुख्य बयान में घटना का आंशिक समर्थन किया है तथा उसने केवल पतोहू के नहाते हुए फोटो खींच लेने की बात कहा है तथा यह साक्षी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा वह उस समय घास काटने गयी थी। दीपेश फोटो खींचा था, ऐसा पतोहू ने उसे बताया था। अभियोजन साक्षी संख्या 04 जो कि इस वाद की पीड़िता हैं, ने अपने मुख्य बयान में केवल आंगन में नहाते हुए फोटो खींच लेने और ब्लैकमेल करने की बात कही है, किन्तु शारीरिक संबंध बनाने की घटना से इन्कार किया है। इस साक्षी ने आंशिक रूप से मात्र घटना का समर्थन किया है जबकि प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष मुदालह को पहचानने से इन्कार किया है। प्रति परीक्षण के क्रम में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि फोटो लेने वाले का नाम नहीं जानते हैं और न ही पहचानते हैं। इस प्रकार इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में अभियुक्त का पहचान नहीं किया है। पीड़िता साक्षी जो विश्वसनीय साक्षी है, जो कि इस वाद के पीड़िता हैं, ने अन्य तीनों साक्षियों के बयान का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 01, 02 एवं 03 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। पीड़िता बेहतर साक्षी है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, परन्तु उसने न्यायालय के समक्ष अभियुक्त का पहचान नहीं किया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है। यहाँ तक चिकित्सा पदाधिकारी एवं अनुसंधानक का भी साक्ष्य नहीं कराया गया है। प्रस्तुत वाद में जब्त पेन ड्राईव विधि विज्ञान

प्रयोगशाला भेजा गया है, किन्तु रिपोर्ट अभी तक अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई भी साक्षी या साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे अभियोजन का वाद सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित हो सके।

आदेश

9. अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के परिशीलन के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्त दीपेश यादव उर्फ कुमार के विरूद्ध गठित धारा 376, 354A, 354C, 420, 406, 509 IPC, U/s 66E, 67A IT Act के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसी परिस्थिति अभियुक्त दोषमुक्ति के योग्य हैं। फलतः अभियुक्त दीपेश यादव उर्फ कुमार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हे एवं उनके जमानतदार को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

संजय कुमार 13.03.26

(संजय कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
13.03.2026

संजय कुमार 13.03.26

(संजय कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश,
SC/ST Act, खगड़िया।
13.03.2026

DISTRICT & ADDL. SESSIONS JUDGE-1ST ★ KHAGARIA ★